5 COURT FEE — भारत INDIA — पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 COURT FEE — भारत INDIA — पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE — INDIA — पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन जिला उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2006 निगरानी

R875/II/06

भेरुसिंह पिता लालसिंहजी जाति राजपुत
निवासी ग्राम बरडिया तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन म० प्र० ------ आवेदक

वि रू द्ध

मानसिंह पिता दुलेसिंह जी जाति राजपुत
निवासी ग्राम बरडिया तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन म० प्र० ---- अनावेदक

पुनरिक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भु. रा. सं.

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन पीठासीन अधिकारी-राजकुमारी खन्ना द्वारा प्रकरण क्र0 249/04-05 अपील मे पारित आदेश दिनांक 14/2/2006 से क्षुब्ध होकर :-

प्रार्थी/अभिभाषक श्री ... द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 26.4.06
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन संभाग

क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 5/5/06 को प्राप्त
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरिक्षण आवेदन पत्र निम्नलिखित सविनय पेश है :-

प्रकरणके संक्षिप्त तथ्य :-

आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार बड़नगर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 89 भु0 रा0 सं0 - के अन्तर्गत प्रस्तुत किया की भुमि सर्वे नम्बर 1100 रकबा 0.686 हे0 भुमि अनावेदक के पिता के नाम से दर्ज थी बन्दोबस्त पश्चात भुमि - सर्वे नम्बर 853 रकबा 0.610 किया गया और यह निवेदन किया की बन्दोबस्त पश्चात उक्त भुमि पर आवेदक का नाम अंकित हो गया - जिसे दुरस्त किया जावे । न्यायालय नायब तहसीलदार बड़नगर द्वारा प्रकरण मे बिना साक्ष्य लिये और बिना आवेदक व उसके अभिभाषक को सुने प्रकरण राजस्व निरिक्षक की रिपोर्ट हेतु दिनांक 16/8/2004 नियत था दिनांक 16/8/2004 के पश्चात आवेदक को पेशी नोट नही कराई गई और प्रकरण मे बिना साक्ष्य लिये 25/8/2004 को आदेश पारित करते हुवे अनावेदक का आवेदन पत्र दुरस्ती का स्वीकार कर लिया / जिसे -

-- 2 पर निरन्तर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-875/दो/2006

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 12/02/2015 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	